


तारीख हुकम	हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री नोरतमल ग्राम बाबरा, तहसील रायपुर, पाली 306101 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रायपुर प्रथम सूचना अपील संख्या :- 75/2021 जीसीएमएस नं. :- 2021/263 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28-1-22	<ol style="list-style-type: none"> 1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित । 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 31.07.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रायपुर से चाही गई थी। परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रायपुर ने जरिये पत्रांक/सू.अ./2021/153 दिनांक 20.10.2021 व पत्रांक/आर.टी.आई./2021/510 दिनांक 09.11.2021 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उनके द्वारा जरिये पत्रांक/सू.अ./2021/101 दिनांक 27.08.2021 को रजिस्टर्ड डाक RR869283317IN दिनांक 02.09.2021 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सोजत द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है तथा अपीलार्थी को प्राप्त सूचना के संबंध में अपना पक्ष रखने बाबत इस न्यायालय द्वारा नोटिस क्रमांक 1677/8.11.2021 रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाया गया। बावजूद इसके ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है ना ही इस बाबत कोई जवाब/प्रत्युत्तर प्रेषित किया है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। तथा वह रेस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक 28.01.2022 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। 	


 नमित मेहता
 प्रथम अपीलीय अधिकारी
 लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली